

प्रतभूतरिहति ऋण के लिये RBI के सख्त पूंजी मानदंड

प्रलिस के लिये :

RBI ने प्रतभूतरिहति ऋण, भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), बैंक एक्सपोज़र पर जोखमि भार, एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के लिये पूंजी मानदंडों को सख्त किया।

मेन्स के लिये:

RBI ने प्रतभूतरिहति ऋण, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिये पूंजी मानदंडों को सख्त किया है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड से प्राप्त आदि जैसे प्रतभूतरिहति ऋणों की जाँच करने के लिये बैंक एक्सपोज़र पर जोखमि भार बढ़ा दिया है।

- प्रतभूतरिहति ऋणों पर जोखमि भार बढ़ाने का RBI का कदम इन श्रेणियों को ऋण देने वाले बैंकों के लिये पूंजी से जोखमि-भारति संपत्ति अनुपात (CRAR) की आवश्यकता को बढ़ाने का एक तरीका है।
- प्रतभूतरिहति ऋण एक ऐसा ऋण है जिससे प्राप्त करने के लिये किसी को कोई संपार्श्विकि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता की साख पर जारी किया जाता है और इसलिये प्रतभूतरिहति ऋण की स्वीकृति के लिये उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर होना एक शर्त है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) क्या है?

- CAR किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिससे बैंक के जोखमि-भारति क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतशित के रूप में व्यक्त किया जाता है।
 - पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिससे पूंजी-से-जोखमि भारति संपत्ति अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

बैंक एक्सपोज़र पर जोखमि भार क्या है?


- परिचय:**
 - बैंक एक्सपोज़र पर जोखमि भार, बैंकों द्वारा रखी गई विभिन्न प्रकार की परसंपत्तियों से जुड़े जोखमि का आकलन करने के लिये केंद्रीय बैंकों या वित्तीय पर्यवेक्षी अधिकारियों जैसे नियमकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधिको संदर्भित करता है।
 - यह विधि उस पूंजी की मात्रा को निर्धारित करती है जिससे बैंकों को संभावित घाटे को कवर करने के लिये बफर के रूप में इन परसंपत्तियों के खिलाफ रखने की आवश्यकता होती है।
 - परसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों को सौंपा गया जोखमि भार उनकी कथित जोखमि क्षमता पर आधारित होता है।
 - कम जोखमि वाली संपत्तियों को कम जोखमि भार मलित है, जिससे बैंकों को उनके खिलाफ कम पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता होती है, जबकि उच्च जोखमि वाली संपत्तियों में अधिक जोखमि भार होता है, जिससे अधिक पूंजी आवंटन की आवश्यकता होती है।
- उदाहरण:**
 - नकदी या सरकारी प्रतभूतियों जैसी कम जोखमि वाली संपत्तियों का जोखमि भार 0% या बहुत कम प्रतशित हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि बैंकों को इन परसंपत्तियों के वरिद्ध न्यूनतम पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता है।
 - असुरक्षित उपभोक्ता ऋण, कॉर्पोरेट ऋण या डेरिवेटिव जैसी उच्च जोखमि वाली परसंपत्तियों का जोखमि भार उनके कथित जोखमि के

आधार पर 20% से 150% तक या अधिक हो सकता है। इसका अर्थ है कि बैंकों को इन परसिंपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान के खिलाफ बफर के रूप में अधिक पूंजी आवंटित करनी चाहिये।

प्रतभूति रहित ऋण और इसकी आवश्यकता से संबंधित RBI का कदम क्या है?

■ बढ़ा हुआ जोखिम भार:

- RBI ने उपभोक्ता ऋण, क्रेडिट कार्ड से पराप्य और NBFC जैसी कुछ श्रेणियों में बैंकों के जोखिम पर को बढ़ा दिया है।
 - बैंकों के असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण पर जोखिम-भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है तथा क्रेडिट कार्ड पर जोखिम भार 125% से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है।
 - इसके अलावा NBFC के असुरक्षित व्यक्तिगत और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण तथा क्रेडिट कार्ड पर जोखिम भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है।
 - इसका अर्थ है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन वशिष्ट ऋण श्रेणियों से होने वाले संभावित नुकसान के खिलाफ बफर के रूप में अधिक पूंजी अलग रखने की आवश्यकता है।
- हालाँकि RBI ने NBFC द्वारा माइक्रोफाइनेंस ऋणों को जोखिम-भार वृद्धि से छूट दी है।



■ उचित कदम की आवश्यकता:

- अनयंत्रित वृद्धि पर नियंत्रण: प्रतभूति रहित ऋण, विशेष रूप से उपभोक्ता ऋण, कम जोखिम वाली ऋण परसिंपत्तियों की वृद्धि की सीमा को पार करते हुए तेज़ी से बढ़ रहे थे। यह अनयंत्रित वृद्धि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिये जोखिम पैदा कर सकती है।
- ये ऋण संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, जिससे ऋणदाताओं के लिये ये जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। यदुधारकर्त्ता आर्थिक मंदी या व्यक्तिगत वित्तीय मुद्दों के कारण इन ऋणों पर चूक करते हैं, तो इससे बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों को गंभीर ऋण हानि हो सकती है।
- जोखिम न्यूनीकरण: बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies- NBFC) और क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं द्वारा प्रदान किये गए उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाकर, RBI का लक्ष्य वित्तीय संस्थानों के लिये इन ऋणों को अधिक पूंजी-गहन बनाना है।
 - इससे पूंजीगत आवश्यकताओं को संबंधित जोखिमों के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है, जिससे ऋणदाताओं के लिये ऐसे ऋण देना अधिक महँगा हो जाता है।
- जोखिम वृद्धि पर नियंत्रण: इन अग्रिमों के लिये बोर्ड-नगिरानी प्रक्रियाएँ स्थापित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बैंकों के पास उचित जोखिम मूल्यांकन तंत्र मौजूद हैं। इस कदम का उद्देश्य असुरक्षित खुदरा ऋण से जुड़े जोखिम को बढ़ने से रोकना है।
- वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना: व्यापक लक्ष्य ऋण देने की प्रथाओं में असंतुलन को दूर करके वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि असुरक्षित खुदरा ऋणों में तेज़ी से वृद्धि बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों के लिये प्रणालीगत जोखिम पैदा न करे।

बैंकों के लिये प्रतभूति रहित ऋण का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- बड़े बैंकों के लिये माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को छोड़कर प्रतभूति रहित ऋण उनके कुल ऋण का केवल 5-13% है इसके अलावा NBFC को दिये

गए ऋण बैंकों हेतु 5-12% हैं।

- वशिलेकों के अनुमान के अनुसार, कुल प्रभावति बही का हस्सिा, जो NBFC और प्रतभूतरहति ऋण है, इंडसइंड बैंक के लयि सबसे कम 10% है तथा अन्य प्रमुख बैंकों के लयि 15 से 20% तक है।
- NBFC में सबसे अधकि प्रभावति **SBI कार्ड होगा, कयोंकि 100% ऋण असुरकषति है।**
- दूसरे स्थान पर बजाज फाइनेंस है कयोंकि इसका प्रतभूतरहति ऋण कुल ऋण का 38% है, इसके बाद आदतिय बड़िला कैपटिल है जसिका असुरकषति उपभोक्ता ऋण में 20% नविश है।

यह कदम बैंकों तथा NBFC को कैसे प्रभावति करेगा?

- **ऋण ग्रहण करने की लागत पर प्रभाव:**
 - इन वनियामक परिवर्तनों के कारण उपभोक्ताओं के लयि ऋण दरों में वृद्धि हो सकती है।
 - बैंकों द्वारा गैर-बैंकगि वत्ततीय संस्थानों को दी जाने वाली उधार दरों में बढ़ोतरी से **कॉर्पोरेट बॉण्ड** प्रभावति हो सकते हैं, जससे इन संस्थानों के लयि दरों में वृद्धि तथा ऋण प्रसार में वृद्धि होगी।
- **संबद्ध ऋणों से संबंधति जोखमिों का समाधान:**
- उच्च पूंजी आवश्यकताओं से प्रतभूतरहति ऋणों की वृद्धि को धीमा करने तथा संभावति रूप से ऐसे ऋणों से संबंधति **प्रणालीगत जोखमिों का समाधान** कयि जाने की उम्मीद है।

आगे की राह

- बैंकों तथा NBFC को प्रतभूतरहति ऋणों के लयि अपने जोखमि मॉडल एवं ऋण देने की प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- वे ऋण पात्रता आकलन पर अधकि ध्यान केंद्रति कर सकते हैं तथा ऋण देना जारी रखते हुए जोखमि प्रबंधन के लयि वैकल्पकि रणनीतयिों पर वचिार कर सकते हैं।
- प्रतभूतरहति ऋणों पर बढ़ते जोखमि-भार के प्रभाव को संतुलति करने के लयि वत्ततीय संस्थान अधकि सुरकषति ऋणों पर ध्यान केंद्रति करके अथवा अन्य क्रेडिट योग्य कषेत्रों की खोज कर अपने ऋण पोर्टफोलयिों में वविधिता ला सकते हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rbi-tightens-capital-norms-for-unsecured-loans>

